



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 07 मार्च 2026 ई० (फाल्गुन 16, 1947 शक संवत्) [संख्या 10

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	99-110	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	133-154	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोडपत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	583-598	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

30 जनवरी, 2024 ई०

सं० 936/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी०एक्स(1)-मा० न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है-

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 07 मार्च, 2022 से 11 मार्च, 2022 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 23 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं० 57/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी०एक्स(1)-मा० न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

सं० 58/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी०एक्स(1)-मा० न्यायमूर्ति श्री राजबीर सिंह, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है-

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 से 08 दिसम्बर, 2023 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 से 14 दिसम्बर, 2023 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

सं० 73/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी०एक्स(1)-मा० न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है-

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 से 27 अक्टूबर, 2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि-पत्र

15 फरवरी, 2024 ई0

सं0 936(2)/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अवकाश स्वीकृति विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-936/23-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1), दिनांक 30 जनवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कार्यालय-ज्ञाप के क्रमांक-2 में टंकण त्रुटिवश दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के स्थान पर दिनांक 23 नवम्बर, 2023 अंकित हो गया है। अतः उक्त कार्यालय-ज्ञाप में अंकित दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के स्थान पर दिनांक 23 नवम्बर, 2022 पढ़ा जाये।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

अधिसूचना

16 फरवरी, 2024 ई0

सं0 142/24-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली, उच्च न्यायालय, राजस्थान, जिन्हें भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2024 को अपरान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

26 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 333/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री रजनीश कुमार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है-

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 02 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 07 नवम्बर, 2023 से 08 नवम्बर, 2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
3	दिनांक 24 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
4	दिनांक 30 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
5	दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
6	दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 440/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 16 जनवरी, 2024 से 19 जनवरी, 2024 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 12 फरवरी, 2024 से 13 फरवरी, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
3	दिनांक 15 फरवरी, 2024 से 16 फरवरी, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
4	दिनांक 26 फरवरी, 2024 से 27 फरवरी, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
5	दिनांक 04 मार्च, 2024 से 07 मार्च, 2024 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
6	दिनांक 11 मार्च, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 454/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 28 मार्च, 2024 से 29 मार्च, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

06 मई, 2024 ई0

सं0 310/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री शमीम अहमद, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 05 जुलाई, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 10 जुलाई, 2023 से 11 जुलाई, 2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 07 अगस्त, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
4	दिनांक 22 अगस्त, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
5	दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
6	दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
7	दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

1	2
8	दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
9	दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
10	दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
11	दिनांक 06 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
12	दिनांक 09 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
13	दिनांक 20 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
14	दिनांक 22 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
15	दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
16	दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
17	दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

24 मई, 2024 ई0

सं0 483/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 01 फरवरी, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 08 फरवरी, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
3	दिनांक 13 फरवरी, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
4	दिनांक 15 फरवरी, 2024 से 16 फरवरी, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
5	दिनांक 19 फरवरी, 2024 से 23 फरवरी, 2024 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
6	दिनांक 26 फरवरी, 2024 से 01 मार्च, 2024 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
7	दिनांक 04 मार्च, 2024 से 07 मार्च, 2024 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
8	दिनांक 11 मार्च, 2024 से 15 मार्च, 2024 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
9	दिनांक 18 मार्च, 2024 से 22 मार्च, 2024 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
10	दिनांक 28 मार्च, 2024 से 29 मार्च, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
11	दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से 04 अप्रैल, 2024 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 484/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री राजीव मिश्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 02 जनवरी, 2024 से 05 जनवरी, 2024 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 485/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 05 फरवरी, 2024 से 08 फरवरी, 2024 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 06 मार्च, 2024 से 07 मार्च, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 491/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री मुहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 22 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 24 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
3	दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 519/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार श्रीवास्तव-I, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है —

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 16 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 21 नवम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
3	दिनांक 23 नवम्बर, 2023 से 24 नवम्बर, 2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
4	दिनांक 28 नवम्बर, 2023 से 02 दिसम्बर, 2023 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
5	दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 से 05 दिसम्बर, 2023 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

1	2
6	दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
7	दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
8	दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

27 जून, 2024 ई0

सं0 524/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री श्रीप्रकाश सिंह, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है -

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 528/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री शेखर बी0 सराफ, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है -

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 27 अप्रैल, 2024 से 03 मई, 2024 तक 07 (सात) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 548/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है-

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 08 अप्रैल, 2024 से 10 अप्रैल, 2024 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 12 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
3	दिनांक 15 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
4	दिनांक 18 अप्रैल, 2024 से 19 अप्रैल, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
5	दिनांक 22 अप्रैल, 2024 से 27 अप्रैल, 2024 तक 06 (छः) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 549/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 550/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेश सिंह चौहान, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 05 मार्च, 2024 से 06 मार्च, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 21 मार्च, 2024 से 22 मार्च, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
3	दिनांक 28 मार्च, 2024 से 29 मार्च, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
4	दिनांक 02 अप्रैल, 2024 से 05 अप्रैल, 2024 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
5	दिनांक 08 अप्रैल, 2024 से 10 अप्रैल, 2024 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
6	दिनांक 12 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 551/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार मिश्र, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 04 अप्रैल, 2024 से 05 अप्रैल, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 552/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री करुणेश सिंह पवॉर, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 05 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
2	दिनांक 08 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।
3	दिनांक 18 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

शुद्धि-पत्र

कार्यालय-ज्ञाप

10 जुलाई, 2024 ई0

सं0 524(2)/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री श्रीप्रकाश सिंह, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के एक दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-524/24-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0 (1), दिनांक 27 जून, 2024 निर्गत किया गया है। टंकण त्रुटिवश उक्त कार्यालय-ज्ञाप के क्रमांक-1 में दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 के स्थान पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 अंकित हो गया है। अतः उक्त कार्यालय-ज्ञाप में अंकित दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 के स्थान पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2023 पढ़ा जाये।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

25 अगस्त, 2024 ई0

सं0 706/2024-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री राजबीर सिंह, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है-

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 20 मई, 2024 से 27 मई, 2024 तक 08 (आठ) दिन का पूर्ण भत्ते में परिवर्तित अर्द्धवेतन अवकाश।

सं0 751/2024-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री इरशाद अली, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है-

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 01 मई, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 07 मई, 2024 से 10 मई, 2024 तक 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
3	दिनांक 13 मई, 2024 से 17 मई, 2024 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
4	दिनांक 21 मई, 2024 से 25 मई, 2024 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
5	दिनांक 27 मई, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

सं0 754/2024-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री राजन राय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के, तालिका में उल्लिखित अवधि के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती है—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 01 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
2	दिनांक 08 अप्रैल, 2024 से 09 अप्रैल, 2024 तक 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
3	दिनांक 12 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।
4	दिनांक 18 अप्रैल, 2024 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते के साथ अवकाश।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

रेशम विकास-विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

11 मार्च, 2025 ई0

सं0 165/74-1-2025-01(अधि0)/2024—रेशम विकास-विभाग में कार्यरत श्री अमित रघुवंशी, रेशम विकास अधिकारी को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक (रेशम) के पद पर वेतनमान 15,600—39,100, ग्रेड पे-5,400/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-10) में नियमित पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नत अधिकारी को उत्तर प्रदेश, रेशम उद्योग सेवा नियमावली, 1993 के नियम-20 में विहित व्यवस्थानुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर माने जायेंगे।

3— श्री अमित रघुवंशी के तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

सं0 166/74-1-2025-01(अधि0)/2024—रेशम विकास-विभाग में कार्यरत श्री नीरेन्द्र कुमार, रेशम विकास अधिकारी को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक (रेशम) के पद पर वेतनमान 15,600—39,100, ग्रेड पे-5,400/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-10) में नियमित पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नत अधिकारी को उत्तर प्रदेश, रेशम उद्योग सेवा नियमावली, 1993 के नियम-20 में विहित व्यवस्थानुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर माने जायेंगे।

3- श्री नीरेन्द्र कुमार के तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

सं0 167/74-1-2025-01(अधि0)/2024-रेशम विकास-विभाग में कार्यरत श्री आशुतोष कुमार, रेशम विकास अधिकारी को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक (रेशम) के पद पर वेतनमान 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400/- (पे-मैट्रिक्स लेवल-10) में नियमित पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदोन्नत अधिकारी को उत्तर प्रदेश, रेशम उद्योग सेवा नियमावली, 1993 के नियम-20 में विहित व्यवस्थानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जायेंगे।

3- श्री आशुतोष कुमार के तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,
सुनील कुमार वर्मा,
विशेष-सचिव।

कार्मिक विभाग

अनुभाग-3

नियुक्ति

02 जनवरी, 2025 ई0

सं0 27/47-का-3-25-13/2/2000टीसी-अधिसूचना संख्या-1529/79वि-14-1(क)-10-2014, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-7 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री सत्य नारायण साबत पुत्र श्री रघुनाथ साबत, म0नं0 5-57, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष तक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के रिक्त पद पर श्री राज्यपाल सहर्ष नियुक्ति प्रदान करती हैं।

सं0 28/47-का-3-25-13/2/2000टीसी-अधिसूचना संख्या-1529/79वि-14-1(क)-10-2014, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-7 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री सुभाष सिंह बघेल पुत्र श्री रामाशीष सिंह बघेल, म0नं0-55, विपुल खण्ड-4, गोमती नगर, लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 14 मई, 2029 तक सदस्य, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के रिक्त पद पर श्री राज्यपाल सहर्ष नियुक्ति प्रदान करती हैं।

सं0 29/47-का-3-25-13/2/2000टीसी-अधिसूचना संख्या-1529/79वि-14-1(क)-10-2014, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-7 के प्राविधानों

के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र पुत्र स्व0 कंधाई लाल, ग्राम मोहब्बतपुर पैसा, सिराथू, कौशाम्बी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष तक सदस्य, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के रिक्त पद पर श्री राज्यपाल सहर्ष नियुक्ति प्रदान करती हैं।

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 07 मार्च, 2026 ई० (फाल्गुन 16, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी

20 सितम्बर, 2024 ई०

सं० 892/12ए-एल०आर०ए०-62(2023-24)—जिलाधिकारी, झांसी के पत्रांक-467/12ए-डी०एल०आर०सी०/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 23 अगस्त, 2024 एवं पत्रांक-515/12ए-डी०एल०आर०सी० 2024-25 दिनांक 10 सितम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4) खण्ड-(ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई०ए०एस०, आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	राजापुर	126	0.049	श्रेणी-5(3)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					128	0.028	कृषि योग्य	
					142	0.012	बंजर भूमि	
					157	0.510		
					186	0.178		
					189	0.733		
					198	0.214		
					397	1.727		
					411	0.069		
					419	0.016		
					463	0.053		
					466	0.441		
					470	0.092		
					473	0.218		
					492	0.166		
					504	0.154		
					505	0.202		
					506	1.104		
					548	0.487		
					564	0.130		
					603	0.097		
					604	0.162		
					606	0.388		
					699	0.466		
					704	0.154		
					730	0.364		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	राजापुर	1426	0.182	श्रेणी-5(3)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					955	0.134	कृषि योग्य	विकास प्राधिकरण
					977	0.158	बंजर भूमि	(बीड़ा) विकसित करने
					995	0.138		हेतु (निःशुल्क)
					996	0.259		
					1285	0.259		
					1632	0.024		
					1338	0.057		
					1400	0.020		
					1404	0.304		
					1409	0.409		
					1420	0.053		
					1649	0.158		
					1652	0.085		
					1654	0.227		
					1657	0.065		
					1729	0.154		
					1737	0.198		
					1739	0.162		
					1889मि०	0.368		
					1901	0.421		
					1928	0.089		
					2005	0.134		
					2010	0.178		
					2033मि०	0.279		
					2037	0.805		
					2077मि०	0.198		
					2092मि०	0.190		
					2109	0.431		
					183	0.158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	राजापुर	733	0.125	श्रेणी-5(3)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					2036	0.154	कृषि योग्य	विकास प्राधिकरण
					117	0.032	बंजर भूमि	(बीड़ा) विकसित करने
					140	0.105		हेतु (निःशुल्क)
					268	0.247		
					269	0.028		
					607	0.130		
					605	0.178		
					योग .	15.500		

10 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 34/12ए-एल0आर0ए0-65(2023-24)-जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक-562/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 27 सितम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति क्रम में पूर्ववर्ती शासनादेश जिसके द्वारा पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गयी थी, का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ-

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बनगुआँ	780	0.927	श्रेणी-5 3ड	झाँसी-खैरार मानिकपुर व
					938	0.8010	अन्य कृषि	खैरार-भीमसेन दोहरीकरण
					636ख	0.5180 में	योग्य बंजर भूमि	(विशेष रेल परियोजना) वन
						से रकवा		विभाग हेतु
						0.2073		
					योग .	1.9353		

सं0 35/12ए-एल0आर0ए0-66(2023-24)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक-561/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 27 सितम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति क्रम में पूर्ववर्ती शासनादेश जिसके द्वारा पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गयी थी, का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	मऊरानीपुर	झाँसी	रोरा	6411 /2मि0	2.643 में से रकवा 2.5969	श्रेणी-5(3)ड कृषि योग्य बंजर	झाँसी-मानिकपुर खैरार- भीमसेन रेलवे दोहरीकरण (विशेष रेल परियोजना) वन विभाग हेतु

20 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 825/12ए-एल0आर0ए0-16(2024-25)—जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक-682/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मैं बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बैदोरा	872 373 14/2 284मि0	1.117 में से 0.017 0.393 0.223 0.206	श्रेणी-5(1) बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बैदोरा	867	0.206	श्रेणी-5(1)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					1558	0.206	बंजर	विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					1472	0.182		विकसित करने हेतु
					4	0.162		(निःशुल्क)
					317मि०	0.150		
					8/2	0.146		
					2030	0.142		
					1577	0.138		
					1586	0.134		
					1907	0.077		
					2016	0.117		
					2032	0.117		
					376	0.101		
					974	0.101		
					1386	0.089		
					1342	0.085		
					1414	0.085		
					1054	0.081		
					130	0.077		
					295मि०	0.077		
					300मि०	0.077		
					1938मि०	0.077		
					1092	0.069		
					2069	0.069		
					1980/2120	0.065		
					1100	0.061		
					1583	0.061		
					1977	0.057		
					2091मि०	0.057		
					7	0.053		
					1585	0.053		
					1934	0.053		
					1476/2113	0.053		
					31मि०	0.049		
					196	0.049		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बैदोरा	299	0.049	श्रेणी-5(1)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					442	0.049	बंजर	
					1058	0.049		
					207 / 2	0.040		
					480	0.040		
					1059	0.040		
					1368	0.040		
					1521	0.040		
					2094 / 2135	0.040		
					2101 / 3	0.040		
					201 / 2	0.036		
					647	0.036		
					1094मि०	0.032		
					1564	0.032		
					1589	0.032		
					1594मि०	0.032		
					2093	0.032		
					1111	0.028		
					1410	0.028		
					2075मि०	0.028		
					1360 / 1मि०	0.024		
					1361 / 2	0.024		
					2070	0.024		
					1053मि०	0.020		
					1089	0.020		
					352 / 6	0.016		
					848मि०	0.016		
					1155	0.016		
					436	0.008		
					1576मि०	0.008		
					208मि०	0.004		
					947मि०	0.004		
					योग ..	5.142		

बिमल कुमार दुबे,
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2026

सं0 280/81-6-2026(618995)--जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या-6, सन् 1974) की धारा-12 की उपधारा-(3-क) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या-14, सन् 1981) की धारा-14 की उपधारा-(4) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् एतद्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती है:-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् (प्रथम संशोधन) सेवा विनियमावली, 2026 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम-14 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995, जिसे आगे "उक्त विनियमावली" कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-एक में दिया गया विनियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक

(विद्यमान विनियम)

14- चयन समिति का गठन-

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:-

(क) समूह "क" और समूह "ख" पदों के लिए-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी

(दो) सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो

(तीन) संबंधित विषय का एक विशेषज्ञ, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा

(चार) परिषद् का सदस्य-सचिव

स्तम्भ-दो

(एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम)

14- चयन समिति का गठन-

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती पदोन्नति के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:-

(क) समूह "क" और समूह "ख" के पदों लिए-

एक- नियुक्ति प्राधिकारी;

दो- सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी;

तीन- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट संबंधित विषय का एक विशेषज्ञ;

चार- परिषद् का सदस्य सचिव;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

परन्तु-

यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, का एक अधिकारी जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, को सरकार द्वारा सदस्य के रूप नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

टिप्पणी:-ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिए-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों का होगा

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम- निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा

(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम- निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा

टिप्पणी:-ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

विनियम-15 का संशोधन

3. उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विनियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

जनजातियों और पिछड़े वर्गों के प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित न हो, तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों से सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, को एक सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

टिप्पणी:-ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) समूह "ग" और समूह "घ" के पदों के लिए-

एक- नियुक्ति प्राधिकारी;

दो- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का होगा;

तीन- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो अल्पसंख्यक समुदाय का होगा;

चार- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट परिषद का एक अधिकारी जो पिछड़े वर्गों का होगा;

टिप्पणी:-ज्येष्ठतम अधिकारी/सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

स्तम्भ-एक
(विद्यमान विनियम)

स्तम्भ-दो
(एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम)

15-साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

15- निकाल दिया गया।

(1)-विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के

अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हताएं, जैसा वह उचित समझें, पूरी करते हों।

(2) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हों, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगी।

विनियम-16 का संशोधन

4. उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विनियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिये गये विनियम को रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान विनियम)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम)
<p>16- लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-</p> <p>(1) विनियम 14 के अधीन गठित चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।</p> <p>(2) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति, विनियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए</p>	<p>16-प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया:-</p> <p>(1) (क) समूह-‘ख’ के पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जायेगी।</p> <p>(ख) प्रतियोगी परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा हेतु 85 प्रतिशत अंक एवं साक्षात्कार हेतु 15 प्रतिशत अंक होगा।</p> <p>(ग) लिखित परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानुपर द्वारा संचालित की जायेगी।</p> <p>(घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानुपर विनियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करायेगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार</p>

बुलायेगी जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर, इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता-क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगी।

पर रिक्तियों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों की सूची आई.आई.टी., कानपुर द्वारा (बिना अंक के) साक्षात्कार प्रक्रिया के संचालन हेतु परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ड) आई.आई.टी., कानपुर से परिषद द्वारा प्राप्त की गयी अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। साक्षात्कार समिति के माध्यम से अभ्यर्थियों का साक्षात्कार संचालित किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:

(एक) परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट माननीय उच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश- अध्यक्ष;

(दो) सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद- सदस्य संयोजक;

(तीन) परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट पर्यावरण विशेषज्ञ- सदस्य

(चार) परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट पर्यावरण विषय में विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के आचार्य- सदस्य

(च) साक्षात्कार समिति, अभ्यर्थियों के अंक आई.आई.टी., कानपुर को अग्रेषित करेगी।

(छ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से यथा अनावृत्त श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु रिक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर, नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त सूची भेजेगी।

(2) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यू.पी.एस.एस.सी.), लखनऊ के माध्यम से की जायेगी।

परिशिष्ट का संशोधन

5. उक्त विनियमावली में परिशिष्ट में:-

(क) क्रम संख्या-29 और उससे संबंधित प्रवृष्टियों के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में दी गयी क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रवृष्टियों को स्तम्भवार रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रविष्टि)												स्तम्भ-दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि)											
क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	पदों की सेवा की प्रास्थिति	वेतनमान	शैक्षिक अर्हताएं	आयु सीमा न्यूनतम अधिकतम	भर्ती का स्त्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी	क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	पदों की सेवा की प्रास्थिति	वेतनमान	शैक्षणिक अर्हताएं	आयु सीमा न्यूनतम अधिकतम	भर्ती का स्त्रोत	नियुक्ति प्राधिकारी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	लेखाकार /लेखा परीक्षक	-	14	14	समूह ग	1400-40-1600-50-2300-द0रो0-60-2600	रू0	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय के रूप में लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता	21	32	साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव	29	सहायक लेखाकार	--	14	14	समूह ग	वेतनमान, अधिमानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा 2014 (यथासंशोधित) होगी।	शैक्षणिक अर्हताएं और सरकारी लेखा संवर्ग सेवा नियमावली के अनुसार	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन लखनऊ माध्यम से	प्रदेश सेवा आयोग, के माध्यम से	सदस्य-सचिव

(ख) क्रम संख्या-30 और उससे संबंधित प्रवृष्टियों के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में दी गयी क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रवृष्टियों को स्तम्भवार रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रविष्टि)												स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि)												
क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या	पदों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	आशुलिपिक	--	29	29	समूह ग	1400-40-1600-50-2300-द0रो0-60-2600-रू0	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा	21	32	प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	सदस्य सचिव	30	आशुलिपिक	--	29	29	समूह ग	वेतनमान, अधिमानी उत्तर प्रदेश शासकीय आशुलिपिक नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के अनुसार होंगी।	शैक्षणिक अर्हताएं और आयु, सरकारी विभाग संवर्ग सेवा	अर्हताएं और आयु, सरकारी विभाग संवर्ग सेवा	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग, लखनऊ के माध्यम से सीधी भर्ती	उत्तर प्रदेश सेवा आयोग, लखनऊ के माध्यम से सीधी भर्ती	सदस्य-सचिव	
							(2) हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति																	
							(3) अंग्रेजी आशुलिपिक में 60 शब्द प्रति मिनट की और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति																	

(ग) क्रम संख्या-36 और उससे संबंधित प्रवृष्टियों के स्थान पर नीचे स्तम्भ-दो में दी गयी क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रवृष्टियों को स्तम्भवार रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रविष्टि)												स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि)											
क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	सेवा की स्थाई अस्थाई स्थिति योग	वेतन मान	शैक्षिक अर्हताएं	आयु सीमा न्यूनतम अधिकतम	भर्ती का स्त्रोत		नियुक्ति प्राधिकारी	क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	सेवा की प्रास्थिति अस्थाई योग	वेतनमान	शैक्षणिक अर्हताएं	आयु सीमा न्यूनतम अधिकतम	भर्ती का स्त्रोत		नियुक्ति प्राधिकारी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	टंकक लिपिक	--	61	61	समूह ग	950-20-1150-दो	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा के साथ हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 30 शब्द प्रति मिनट की और 25 शब्द प्रति मिनट की गति	21	32	(1) अस्सी प्रतिशत परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा (2) पन्द्रह प्रतिशत मौलिक रूप में नियुक्त समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा (3) पांच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो पदोन्नति द्वारा	सदस्य सचिव	36	कनिष्ठ सहायक	-	61	61	समूह ग	(एक) अस्सी प्रतिशत, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। वेतनमान, शैक्षणिक अर्हताएं, अधिमानी अर्हताएं और आयु उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के अनुसार होगी। (दो) पन्द्रह प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और टंकण की जानकारी हो, पदोन्नति द्वारा। (तीन) पांच प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और टंकण की जानकारी हो, पदोन्नति द्वारा।	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के माध्यम से सीधी भर्ती	सदस्य-सचिव			

आज्ञा से,
(डा० आर०पी० सिंह)
अध्यक्ष

Uttar Pradesh Pollution Control Board**NOTIFICATION****Lucknow; Dated: February 23, 2026**

No. 280/81-6-2026(618995)—In exercise of the powers under Sub-Section (3A) of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and under Sub-Section (4) of Section 14 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981), the Uttar Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby makes the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service Regulations, 1995, namely :—

**THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD (FIRST AMENDMENT)
SERVICE REGULATIONS, 2026**

Short title and commencement	<p>1. (1) These regulations may be called Uttar Pradesh Pollution Control Board (First Amendment) Service Regulations, 2026.</p> <p>(2) They shall come into force with effect from their publication in the Official Gazette.</p>
Amendment of Regulation 14	<p>2. In the Uttar Pradesh Pollution Control Board Service Regulations, 1995, hereinafter referred to as the "said Regulations", for Regulation 14 set out in Column-I below, the Regulation as set out in Column-II shall be substituted, namely:-</p>

Column-I <i>(Existing Regulation)</i>	Column-II <i>(Regulation as hereby substituted)</i>
<p>14. Constitution of the Selection Committee</p> <p>Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made through the Selection Committee comprising :</p> <p>(a) For Group "A" and Group "B" posts:</p> <p>(i) Appointing Authority;</p> <p>(ii) One officer not below the rank of Joint Secretary to the Government nominated by the Government;</p> <p>(iii) One expert in the concerned subject nominated by the appointing authority;</p>	<p>14. Constitution of the Selection Committee</p> <p>Recruitment on the basis of promotion to various categories of posts in the service shall be made through the Selection Committee comprising of :-</p> <p>a) for Group-A and Group-B posts:</p> <p>i. Appointing Authority;</p> <p>ii. One officer not below the rank of Joint Secretary to the Government nominated by the Government;</p> <p>iii. One expert in the concerned subject nominated by the Appointing Authority;</p>

(iv) Member Secretary of the Board:

Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward classes, then an Officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member.

NOTE: The senior most Officer/Member shall be the Chairman of the Selection Committee;

(b) for Group "C" and Group "D" posts

- (i) Appointing Authority
- (ii) One officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes nominated by the appointing authority.
- (iii) One officer of the Board belonging to minority community nominated by appointing authority;
- (iv) One officer of the Board belonging to Backward Classes nominated by appointing authority.

NOTE: The senior most officer/member shall be the Chairman of the Selection Committee.

iv. Member-Secretary of the Board:

Provided that if the Selection Committee so constituted does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward classes, then an Officer not below the rank of Joint Secretary to the Government belonging to such Castes/Tribes and classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated by the Government as a member.

Note: The senior most Officer/Member shall be the Chairperson of the Selection Committee;

b) for Group-C and Group-D posts:

- i. Appointing Authority ;
- ii. One officer of the Board belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes nominated by the Appointing Authority ;
- iii. One officer of the Board belonging to minority community nominated by Appointing Authority;
- iv. One officer of the Board belonging to Backward Classes nominated by Appointing Authority.

Note: The senior most Officer/Member shall be the Chairperson of the Selection Committee.

Amendment of Regulation 15

3. In the said Regulations, for Regulation 15 set out in Column-I below, the Regulation as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing Regulation)	Column-II (Regulation as hereby substituted)
<p>15. Procedure for direct recruitment on the basis of interview</p> <p>(1) The Selection Committee constituted under Regulation 14 shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Schedule Castes, Scheduled Tribes and other categories under Regulation 6, call for interview such number of candidates, who fulfill the requisite qualifications, as they consider proper.</p>	<p>15. Omitted</p>

(2) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order to their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtained equal marks, the name of the person senior in age shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five per cent) the number of vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

Amendment of Regulation 16 4. In the said Regulations, for Regulation 16 set out in Column-I below, the Regulation as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I <i>(Existing Regulation)</i>	Column-II <i>(Regulation as hereby substituted)</i>
<p>16. Procedure for direct recruitment through written competitive examination</p> <p>(1) The Selection Committee constituted under Regulation 14 shall scrutinize the applications and require the eligible candidate to appear in a competitive examination.</p> <p>(2) After the marks obtained by the candidates in the written examination have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled tribes and other categories in accordance with Regulation 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination have, come up to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.</p> <p>(3) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of</p>	<p>16. Procedure for Direct Recruitment through competitive examination</p> <p>(1) (a) Direct recruitment to Group-B posts shall be made through competitive examination.</p> <p>(b) The competitive examination shall consist of written examination and interview. The marks of written examination shall be 85% and those for the interview shall be 15%.</p> <p>(c) The written examination shall be conducted by Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur.</p> <p>(d) IIT, Kanpur shall scrutinize the applications and conduct a written examination of eligible candidates, keeping in view the need to ensure adequate representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories candidates in accordance with Regulation 6. On the basis of marks obtained by the candidates in the written examination, a list of three times the number of vacancies (without marks) shall be made available by IIT, Kanpur to the Board for conducting the process of interview.</p>

merit as disclosed by aggregate of marks obtained by each candidate in the written examination and interview. If two or more candidates obtain equal marks, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of the vacancies. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

(e) Candidates shall be called for interview on the basis of the list of candidates received by the Board from IIT, Kanpur. The interview of the candidates shall be conducted through an Interview Committee, which shall consist of the following:-

(i) Retired Judge of Hon'ble High Court/National Green Tribunal (NGT) nominated by the Board - President ;

(ii) Member-Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) - Member-Convener ;

(iii) Environment expert nominated by the Board – Member ;

(iv) Expert University Professor in Environment subject nominated by the Board - Member.

(f) The Interview Committee shall forward the marks of the candidates to IIT, Kanpur.

(g) IIT, Kanpur shall prepare a list of candidates in order of merit as disclosed by aggregate of marks obtained by each candidate in the written examination and interview. If two or more candidates obtain equal marks, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty-five percent of the number of vacancies) than the number of vacancies. IIT, Kanpur shall forward the said list to the Appointing Authority.

(2) Direct recruitment to Group-C posts shall be made through the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC), Lucknow.

Amendment of Appendix

5. In the said Regulations, in Appendix,—

(a) for serial number 29 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto as set out in **Column-II** below, shall column-wise be substituted, namely:-

Column-I <i>(Existing Entry)</i>												Column-II <i>(Entry as hereby substituted)</i>											
Se- rial	Name of post	Number of Post	Status of the Service	Scales of pay	Academic qualification	Age-limit Minimum Maximum	Source of recruit- ment	Appoint- ing authority	Se- rial	Name of post	Number of Post	Status of the Service	Scales of pay	Academic qualifi- cation	Age-limit Minimum Maximum	Source of recruitmen t	Appoint- ing authority						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Accountants/ Auditors	14	Permanent- Temporary- Total	Rs.1400-40- 2,300 E.B.-60- 2600	1. A Bachelor's Degree in Commerce with Accountancy as one of the subjects from a University established in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto; 2. One year experience in the field of accountancy in a Government or Semi-Government Organisation.	21	32	By direct recruitment on the basis of interview.	Member Secretary	1	29.	Assistant Accountants	14	14	Group-C Scales of Pay, Academic Qualification, Preferential Qualification and Age shall be in accordance with the Uttar Pradesh Government Subordinate Accounts Cadre (Non-Gazetted) Service Rules, 2014 (as amended).	14	Group-C Scales of Pay, Academic Qualification, Preferential Qualification and Age shall be in accordance with the Uttar Pradesh Government Subordinate Services Selection Commission, Lucknow.						

(b) for serial number 30 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto as set out in Column-II below shall column-wise be substituted, namely:-

Column-I (Existing Entry)												Column-II (Entry as hereby substituted)													
Serial	Name of post	Number of Post			Status of the Service	Scales of pay	Academic qualification	Age-limit		Source of recruitment	Appointing authority	Serial of post	Name of Post	Number of Post			Status of the Service	Scales of pay	Academic qualification	Age-limit		Source of recruitment	Appointing authority		
		Permanent-	Temporary-	Total			Minimum-	Maximum					Perma-nent	Temporary	Total				Minimum	-	Maximum				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
30.	Steno-grapher	29	29	Group-C	Rs.1400-40-1,600-50-2,300 E.B.-60-2600	1.Intermediate Examination of the Board' of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto ; 2. A speed of 80 words per minute in Hindi shorthand and 30 words per minute in Hindi Typewriting. 3.A speed of 60 words per minute in English shorthand and 25 words per minute in English typewriting.;	21	32	By direct recruit-ment on the basis of compe-titive exami-nation	Mem-ber Secre-tary	30.	Steno-grapher	29	29	Group-C	Scales of Pay, Qualification, and Age shall be in accordance with the Uttar Pradesh Department Cadre Service Rules, 2014 (as amended).	of Pay, Preferential and Age shall be with the Government Stenographer	Academic	Direct recruitment through the Uttar Pradesh Subordinate Services Commission, Lucknow.				Member-Secretary

(c) for serial number 36 and entries relating thereto, the serial number and entries relating thereto as set out in Column-II below, shall column-wise be substituted, namely:-

Column-I (Existing Entry)												Column-II (Entry as hereby substituted)											
Ser-ial	Nam-e of post	Number of Permanent-Temporary-Total	Status of the Service	Scales of pay	Academic qualification	Age-limit Minimum Maximum	Source of recruitment	Appointing authority	Ser-ial	Nam-e of post	Number of Permanent-Temporary-Total	Status of the Service	Scales of pay	Academic qualification	Age-limit Minimum Maximum	Source of recruitment	Appointing authority						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	Typist - cum- Clerk	61	61	Group-C	Rs. 950-1150-1500	Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto with a speed of 30 words per minute and 25 words per minute in Hindi and English Typewriting respectively	21	32	(i) Eighty percent by direct recruitment on the basis of competitive examination. (ii) Fifteen percent by promotion from amongst substantively appointed group "D" employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examinations recognized by the Government as equivalent thereto; (iii) Five percent by promotion from amongst substantively appointed Group "D" Employees who have	36	Junior Assistant.	61	61	Group-C	(i) Eighty percent by direct recruitment on the basis of competitive examination. Scales of Pay, Academic Qualification, Preferential Qualification and Age shall be in accordance with the Uttar Pradesh Government Department Ministerial Cadre Service Rules, 2014 (as amended). (ii) Fifteen percent by promotion from amongst substantively appointed Group "D" employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent thereto; and with a knowledge of Typewriting; (iii) Five percent by promotion from amongst substantively appointed Group	Direct recruitment through the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow.	Member-Secretary						

completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognized by the Government as equivalent thereto.

"D" employees who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment and have passed Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognized by the Government as equivalent thereto and with a knowledge of Typewriting.

By Order,
(Dr. R.P. Singh)
Chairman.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 07 मार्च, 2026 ई० (फाल्गुन 16, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज, देवरिया

24 दिसम्बर, 2025 ई०

पत्रांक-3327/2026न०पा०परि०(2025-26)-सं० 1055/न०पा०परि० गौरा बरहज/2025-26-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत अधिनियम की धारा-298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अपनी सीमा के अन्दर विज्ञापनों को नियन्त्रित करने एवं शुल्क वसूले जाने हेतु उपविधि का प्रारूप नगर पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 15.11.2025 के प्रस्ताव संख्या 05/03 द्वारा पारित कर दिया गया है। प्रस्तावित उपविधि का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र स्वतन्त्र जनमित्र में दिनांक 24 दिसम्बर 2025 को इस आशय से कराया गया था कि जिनके ऊपर इस उपविधि के द्वारा प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वो अपनी आपत्तियां/सुझाव लिखित रूप से 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगर पालिका गौरा बरहज में जमा कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, जो सरकारी गजट के प्रकाशन के तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।
- (2) यह उपविधि नगर पालिका परिषद गौरा बरहज जनपद-देवरिया की सीमा में लागू होगी।
- (3) यह उपविधि उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के तिथि से नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज जनपद-देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषायें—

- (1) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज जनपद-देवरिया के अध्यक्ष से है।
- (2) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज जनपद-देवरिया के अधिशासी अधिकारी से है।
- (3) "नगर पालिका" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज जनपद-देवरिया से है।

1-बल्क वेस्ट जनरेटर BWG के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत है—

- 1- परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।
- 2- गीले कूड़े का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।
- 3- सूखे कूड़े को नगर पालिका अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।
- 4- परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पालिका अथवा नगर पालिका से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।
- 5- परिसर में निकलने वाले मलवो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेंकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पालिका अथवा नगर पालिका से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।
- (16) बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2-फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन FSSM—

- (1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैनुअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिशोध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के क्रम में नगर पालिका सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।
- (2) नगर पालिका की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रू0 05.00 लिया जायेगा।
- (3) नगर पालिका सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रू0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रू0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रू0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

- (4) नगर पालिका की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000/-रूपये वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- (5) नगर पालिका सीमान्तगत समस्त प्राइवेट डी0-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पालिका से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी0-स्लजिंग आपरेटरों स्वयं की होगी।
- (6) कार्यालय नगर पालिका से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पालिका द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (7) नगर पालिका सीमान्तगत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पालिका से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।
- (8) नगर पालिका सीमान्तगत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भूस्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (9) नगर पालिका सीमान्तगत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पालिका अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0-1500/- रू0 अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।
- (10) सेप्टिक टैंक/ओ0एस0एस0 का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पालिका तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओ0एस0एस0 से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।
- (11) नगर पालिका सीमान्तगत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। अनुपालन करते हुए न पाये जाने पर नीचे प्रदर्शित अर्थदण्ड देय होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- (12) कार्यालय नगर पालिका द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंच मार्क निम्नवत है :-

क्र० सं०	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रुपये
1	केयर टेकर का नाम, मो० नं०, टोयलेट आई०डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रंट दीवाल पर अंकित	200
2	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल०ई०डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इक्झास फैन द्वारा	500
4	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
5	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100
6	शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1000
7	दिव्यांग हितैशी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5000
8	सीट, बेसिन फर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रेशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर।	200
11	शौचालय के फ्रंट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर।	200
12	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थायें।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टिशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थायें जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस वेसिन उपलब्ध।	200

3-निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन C&D Waste-

- (1) नगर पालिका सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।
- (2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।
- (3) नगर पालिका सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात् भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामि/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पालिका से सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0-2000 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1500 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।
- (4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्कों में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामि को चिन्हित करते हुए जुर्माना धनराशि मु0-2000 रुपये वसूल किया जायेगा।

4- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन PWM-

- (1) भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पालिका के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।
- (2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।
- (3) 01 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित किया गया है-
 - (क) पोलिस्टाइरीन और विस्तारित पोलिस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।
 - (ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री आदि।
 - (ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, रिट्रर का भी 1 जुलाई 2022 से प्रयोग प्रतिबन्धित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पालिका में भी लागू है।

क्रम सं	प्रतिशिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि रूपयों में
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम – 500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम – 01 किलोग्राम	5,000
(क) 4	01 किलोग्राम – 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
	किसी संस्था/वाणिज्यिकसंस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/ कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान।	25,000
(ख)	दुकानों/ ढाबों/ औद्योगिक/ प्रतिष्ठानों/ भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाने पर।	
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/ कार्यालयों/ होटलों/ दुकानों/ रेस्तराओं/ मिष्ठान दुकानों/ ढाबों/ औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों।	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज, जनपद-देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पालिका परिषद, गौरा बरहज, जनपद-देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

'यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि "विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
गौरा बरहज,
देवरिया।

कार्यालय, नगर निगम, आगरा

17 जनवरी, 2026

सं0 60/D/Zo/Hw/2026—प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग—9 के पत्र संख्या 925/नौ—9—2025—ई—1853096 दिनांक 09 मई, 2025 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-541 के अन्तर्गत नगर निगम आगरा द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित भवनों का नामान्तरण कराये जाने हेतु निर्धारित शुल्क का प्रस्ताव मा0 सदन, नगर निगम आगरा के समक्ष दिनांक 29.11.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसको मा0 सदन द्वारा सर्वसम्मति से यथावत् पारित किया गया। इसके उपरान्त मा0 सदन द्वारा स्वीकृत दरों पर आम जनमानस से 30 दिवस में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रचलित समाचार-पत्र दैनिक जागरण व दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक 03.12.2025 को प्रकाशित कराया गया, जिस पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 01.01.2026 थी। उक्त निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव नगर निगम आगरा के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

अतः शासन द्वारा प्रस्तावित दरों को मा0 सदन द्वारा भी यथावत् स्वीकृत किया गया है, और आम जनमानस को उक्त दरों पर भी कोई आपत्ति नहीं है, जो निम्नवत् है—

नामान्तरण शुल्क की वर्तमान स्वीकृत दरें

क्र0 सं0	विवरण	शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित नामान्तरण शुल्क		
1	वरासत/वसीयत/उत्तराधिकार, विधिसम्मत तरीके से किये गये तथा हिब्बा पर आधारित भवनों का नामान्तरण शुल्क	क्र0सं0	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)	प्रभार की धनराशि (रुपये में)
		1	1000 तक	1000/—
		2	1001—2000 तक	2000/—
		3	2001—3000 तक	3000/—
		4	3001 से अधिक	5000/—
2	भवनों के पंजीकृत विलेख/बैनामों, पंजीकृत दान-पत्र में अंकित कीमत के अनुसार नामान्तरण शुल्क निम्नवत् है—	A	रु0 5,00,000 मूल्य तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रु0 5 लाख तक 1000/—
		B	रु0 5,00,001 मूल्य से रु0 10,00,000 तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रु0 5 लाख तक से रु0 10 लाख तक 2000/—
		C	रु0 10,00,001 मूल्य से रु0 20,00,000 तक के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रु0 10 लाख तक से रु0 15 लाख तक 3000/—
		D	रु0 20,00,001 मूल्य एवं इससे अधिक के मूल्य के विक्रय विलेख पर नामान्तरण शुल्क	रु0 15 लाख तक से रु0 50 लाख तक 5000/—
		E	—	रु0 50 लाख से ऊपर 10000/—
3	विलम्ब शुल्क		200/—प्रतिवर्ष	
4	प्रकाशन शुल्क		500/—	
5	पंजीकरण शुल्क		500/—	

उपरोक्त दरें सरकारी गजट प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

(ह0) अस्पष्ट
नगर आयुक्त,
नगर, निगम, आगरा।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम निखिल कुमार (NIKHIL KUMAR) पुत्र विमलेश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 5709 5634 0737 में उसका नाम अन्शू (ANSHU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम निखिल कुमार (NIKHIL KUMAR) पुत्र विमलेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विमलेश कुमार,
पुत्र महावीर सिंह,
निवासी— ग्राम संतोषपुर, अहमदपुर,
सुल्तानगंज, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्रुति निषाद (SHRUTI NISHAD) पुत्री ओम प्रकाश निषाद (OM PRAKASH NISHAD) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—5989 2572 6743 में मेरा नाम सृती निषाद (SRUTI NISHAD) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्रुति निषाद (SHRUTI NISHAD) पुत्री ओम प्रकाश निषाद (OM PRAKASH NISHAD) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्रुति निषाद, पुत्री ओम प्रकाश निषाद,
निवास— ग्राम डीहा, पोस्ट खैन,
तह० करछना, प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम काव्या सोनी (KAVYA SONI) पुत्री कुमार

आनन्द सोनी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाणपत्र व निवास प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 9687 7236 5673 में मेरा नाम नैना सोनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम काव्या सोनी (KAVYA SONI) पुत्री कुमार आनन्द सोनी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

काव्या सोनी
स्टेशन रोड पो० पुरानी बस्ती अकपन्नी,
बस्ती, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनन्या सिंह पुत्री अरविन्द कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपनी पुत्री का नाम अनन्या सिंह से बदलकर अनिष्का सिंह (Anishka Singh) रख लिया है भविष्य में मेरी पुत्री को अनिष्का सिंह पुत्री अरविन्द कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरविन्द कुमार पुत्र पलकधारी
निवासी—797 गोल्फ कॉलोनी रेलवे कालोनी,
जी०एम० रेजिडेंस गोरखपुर उ०प्र०।
वर्तमान पता—सी—05 एच०ए०एल०
टाउनशिप फैजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सूफिया बानो (Sufiya Bano) पुत्री मो. नशीम है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 4904 3160 3049 में उसका नाम गौसिया बानो अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सूफिया बानो (Sufiya Bano) पुत्री मो. नशीम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो0 नशीम पुत्र मो0 हलीम,
निवासी— मेन चौराहा स्टेशन रोड,
कुंडा प्रतापगढ़ उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे नाबालिग बेटे का सही नाम अश्विक यादव पिता अनिल कुमार यादव है जो उसके शैक्षणिक संस्थान अभिलेखों में दर्ज है आधार कार्ड संख्या—6115 4449 1492 में गलती से उसका नाम अप्पू यादव दर्ज हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे नाबालिग बेटे को उसके सही नाम अश्विक यादव पिता अनिल कुमार यादव से जाना जाए।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संबंध में सभी कानूनी औपचारिकताएं मैंने स्वयं पूरी कर ली हैं।

पूनम यादव, पत्नी अनिल कुमार यादव,
ग्राम मिर्जावा सरदार, डाकघर, सरदारनगर,
थाना चौरी—चौरा, जनपद गोरखपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिद्धी शुक्ला पुत्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ल है जोकि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या—4987 5455 0282 में उसका नाम समृद्धि शुक्ला अंकित हो गया, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिद्धी शुक्ला पुत्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ल के नाम के जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शैलेन्द्र कुमार शुक्ल,
ग्राम व पोस्ट गौरा
जिला लखीमपुर, खीरी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरी पुत्री का सही नाम संध्या प्रजापति पुत्री राज कुमार है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या—5555 9715 4432 में उसका नाम अंतिमा प्रजापति अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम संध्या प्रजापति पुत्री राज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राज कुमार पुत्र जवाहिर लाल,
पता— ग्राम टी०टी० पडिला,
इस्माइलपुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवा (SHIWA) पुत्र राजकुमार (RAJKUMAR) है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8334 0810 9991 में उसका नाम शिवम अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवा (SHIWA) पुत्र राजकुमार (RAJKUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित कि जाता है कि उपर्युक्त संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजकुमार पुत्र झन्ना लाल
पता—देवाही, पोस्ट—पहाड़ा, थाना—पडरी,
तहसील—सदर, जनपद—मिर्जापुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मानवी कुशवाहा पुत्री सुशील कुमार है। जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं० 5515 0590 8136 में उसका नाम

“सृष्टि” अंकित हो गया है, जोकि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मानवी कुशवाहा पुत्री सुशील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुशील कुमार पुत्र रामनाथ,
निवासी— ग्राम टिपाटिया तिपाटिया,
कानपुर देहात असालतगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नरेन्द्र पाल पुत्र महेन्द्र पाल है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश एल0 आई0 सी0 पॉलिसी सं0 233009447 में मेरा नाम “सोनी पाल” अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नरेन्द्र पाल पुत्र महेन्द्र पाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नरेन्द्र पाल, पुत्र महेन्द्र पाल,
निवासी— 118/368 कौशलपुरी,
आर0के0 नगर कानपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राजवीर मिश्रा पुत्र अचित्यानंद मिश्रा है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं विद्यालय प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0 7813 9404 9213 में उसका नाम “नमन मिश्रा” अंकित हो गया है, जोकि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राजवीर मिश्रा पुत्र अचित्यानंद मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अचित्यानंद मिश्रा पुत्र घनश्यामानन्द मिश्रा,
निवासी—65/23 गांधीग्राम
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कनिष्का श्रीवास्तव पुत्री राजेश श्रीवास्तव है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 8459 4542 0724 में मेरा नाम “एश्वर्या श्रीवास्तव” अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कनिष्का श्रीवास्तव पुत्री राजेश श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कनिष्का श्रीवास्तव, पुत्री राजेश श्रीवास्तव,
निवासिनी—194, बी/21 ओ ब्लॉक,
किदवई नगर कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रेन्सी RANSI पुत्री रवि शंकर यादव है। जो कि इसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 4696 8378 1840 में उसका नाम रेन्सी RENSİ हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रेन्सी RANSI पुत्री रवि शंकर यादव के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रवि शंकर यादव पुत्र श्री पुनवासी यादव,
ग्राम रामपुर सक्तेशगढ़ पो0 सक्तेशगढ़,
तह0 चुनार जनपद मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरव मौर्य (AARAV MAURYA) पुत्र बृजेश कुमार है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-2495 8231 1020 में उसका नाम आयरो (AAYRO) अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरव मौर्य (AARAV MAURYA) पुत्र बृजेश कुमार के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सीमा मौर्या

निवासी- ग्राम-मनियारी दाउदपुर, मनियारी,
अलीगंज बाजार, जिला-सुलतानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनन्या यादव पुत्री ओंकार नाथ यादव है। जोकि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 9260 1799 0264 में मेरा नाम "अनन्या श्री यादव" अंकित हो गया है। जोकि मेरा गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनन्या यादव पुत्री ओंकार नाथ यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनन्या यादव पुत्री ओंकार नाथ यादव,
निवासी-फर्सार फरसाद,
गोरखपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विद्या देवी पत्नी दिनेश चन्द्र है। जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार रजिस्टर की नकल व उप जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित है त्रुटिवश

मेरे आधार कार्ड सं० 7740 9590 0676 में मेरा नाम विद्या देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विद्या देवी पत्नी दिनेश चन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है

विद्या देवी पत्नी दिनेश चन्द्र,
धारौली मुफरिद थाना कोहडोर दरछुट,
तह० पट्टी प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा सही नाम निहान मिश्रा (NIHAAN MISHRA) पुत्र पुनीत मिश्रा (PUNEET MISHRA) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में भी अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3705 7484 9651 में मेरा नाम आहन मिश्रा (AHAN MISHRA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम निहान मिश्रा पुत्र पुनीत मिश्रा से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

निहान मिश्रा (NIHAAN MISHRA)
पुत्र पुनीत मिश्रा (PUNEET MISHRA),
निवासी- डी 58/12-53, गाँधी नगर,
सिगरा, वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पायल पुत्री सूर्य प्रकाश केशरी हैं जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री की आधार सं०-9502 3072 6967 में उसका नाम कृष्णा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पायल पुत्री सूर्य प्रकाश केशरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त के संबंध में समस्त औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सूर्य प्रकाश केशरी पुत्र लालचन्द्र केशरी
पता— गजराज नगर डाला मोड-ओबरा,
सोनभद्र।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया है कि मेरा सही नाम कु० शालिनी (KM SHALINI) पुत्री राम शंकर है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख हाईस्कूल के अंकपत्र व प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड संख्या-3328 0270 6661 में नाम Shalini अंकित हो गया है।

भविष्य में मुझे कु० शालिनी (KM SHALINI) पुत्री राम शंकर के नाम के जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० शालिनी पुत्री राम शंकर,
पता— पूरे अल्पी तिवारी, सरमें,
अमेठी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मृदुल Mridul पुत्र हरगोविंद सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 3957 5585 4397 में उसका नाम जय सिंह Jay Singh अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मृदुल Mridul पुत्र हरगोविंद सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गयी है।

हरगोविंद सिंह,
पता— ग्राम तिलकपुर, पोस्ट बखरिया,
थाना औरैया जिला औरैया, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम इन्द्रावती देवी पत्नी आशाराम यादव है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर, जमीन की रजिस्ट्री में तथा मेरे पति की सेवा सम्बन्धी अभिलेख और उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 7574 5065 0427 में मेरा नाम इनरादेवी पत्नी आशाराम यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम इन्द्रावती देवी पत्नी आशा राम यादव के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

इन्द्रावती देवी, पत्नी आशाराम यादव,
निवासी— ग्रा० व पो० कसौधन उर्फ लच्छागृह,
तह० हण्डिया, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम विन्यास यादव पुत्री विपिन कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार में संख्या—4993 4184 1658 उसका नाम Venus Yadav हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम विन्यास यादव पुत्री विपिन कुमार यादव के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विपिन कुमार यादव,
पुत्र राज कुमार यादव,
पता—मीरापुर, औराई, संत रविदास नगर,
भदोही, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुमारी सुनिता पुत्री मोहन राम है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड

संख्या— 6535 4282 1982 में मेरा नाम सुमिता (SUMITA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुमारी सुनिता (KUMARI SUNITA) पुत्री मोहन राम के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुमारी सुनिता, ग्राम छोडहर,
पोस्ट हनुमानगंज,
जिला—बलिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवांश प्रजापति (SHIVANSH PRAJAPATI) पुत्र राजेश प्रजापति है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—9974 7594 4491 में उसका नाम अंश अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम शिवांश प्रजापति (SHIVANSH PRAJAPATI) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेश प्रजापति पुत्र राम किशोर प्रजापति,
ग्राम गाहासाड़, पोस्ट सहजनवा,
गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आलोक यादव (ALOK YADAV) पुत्र रामजी यादव है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 9251 2462 9905 एवं उसके शैक्षिक अभिलेख में उसका नाम अलोप यादव (ALOP YADAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आलोक यादव (ALOK YADAV) पुत्र रामजी यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय ।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामजी यादव,
पता—बेली गांव व पोस्ट कचेहरी थाना कैंट,
जिला प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सन्यास ग्रहण करने से पूर्व मेरा नाम चन्द्रशेखर मिश्र पुत्र श्री गणेश मिश्र था, जो मेरे आधार कार्ड संख्या 3539 9093 3548 तथा पैन कार्ड संख्या FTWPM1016A में अंकित है तथा मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। सन्यास ग्रहण के उपरान्त मेरा नाम मेरे गुरु जी द्वारा राघव दास शिष्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य रामनरेशाचार्य जी महाराज रखा गया है। भविष्य में मुझे राघव दास शिष्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य रामनरेशाचार्य के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

चन्द्रशेखर मिश्र,
के0 22/99, श्रीमठ पंचगंगा घाट,
वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनंत शुक्ला पुत्र रत्नेश शुक्ला है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 3247 0154 9802 में मेरा नाम आकाश शुक्ला पुत्र रत्नेश शुक्ला अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनंत शुक्ला पुत्र रत्नेश शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनंत शुक्ला,
ग्राम व पो० धोबहा, तहसील हण्डिया,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अवि मिश्र (AVI MISHRA) पुत्र देवेश कुमार मिश्र है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड में सं- 9905 1293 0828 में उसका नाम देवांश मिश्र अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अवि मिश्र (AVI MISHRA) पुत्र देवेश कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

देवेश कुमार मिश्र, पुत्र श्री अवध नारायण मिश्र,
पता - 295 संगम विहार, हवेलिया,
पो0 झूंसी, जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हनुमान केशरी पुत्र स्व० कैलाश नाथ केशरी है जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, गैस पासबुक, बिजली बिल, आदर्श नगर पंचायत तथा उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 6093 3778 8495 में मेरा नाम अनुप केशरी पुत्र स्व० कैलाश नाथ केशरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हनुमान केशरी पुत्र स्व० कैलाश नाथ केशरी के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

हनुमान केशरी,
पुत्र स्व० कैलाश नाथ केशरी,
निवासी- वार्ड नं०-8 नगर पंचायत गंगापुर,
पोस्ट गंगापुर, थाना रोहनिया,
तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंकिता विश्वकर्मा पुत्री जय प्रकाश विश्वकर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण

पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 6065 0267 9413 में उसका नाम शालू विश्वकर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंकिता विश्वकर्मा पुत्री जय प्रकाश विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जय प्रकाश विश्वकर्मा,
पुत्र स्व० सूर्यनारायण विश्वकर्मा,
नि०- रानीपार उर्फ हरैया पोस्ट मथौली बाजार,
तह० हाटा जनपद कुशी नगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विभव तिवारी पुत्र राजेन्द्र कुमार तिवारी है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-8913 9520 2022 में उसका नाम देवांश तिवारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विभव तिवारी पुत्र राजेन्द्र कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजेन्द्र कुमार तिवारी, पुत्र राज नारायण तिवारी,
ग्राम सोनरा, पोस्ट गंगौली,
जनपद जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लाडले अहमद (Ladale Ahmad) पुत्र नवी अहमद है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०- 7600 8137 9211 में मेरा नाम सरफराज अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लाडले अहमद (Ladale Ahmad) पुत्र नवी अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

लाडले अहमद पुत्र नवी अहमद,
पता—म०सं० 102 जजौली, टेवां,
कौशाम्बी (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सुधांशु (Sudhanshu) पुत्र राजेश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—9555 8970 9395 में उसका नाम राजेश अंकित है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सुधांशु (Sudhanshu) पुत्र राजेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

खुरमा देवी पत्नी राजेश कुमार,
निवासी— 324/411 फतेहपुर ककरडिल्ला,
रोशनगढ़ अम्बेडकर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम त्रिजल वर्मा (Trijal Verma) पुत्र मनी शंकर वर्मा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 5291 7648 3409 में उसका नाम अभिषेक वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम त्रिजल वर्मा पुत्र मनी शंकर वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

मनी शंकर वर्मा पुत्र राम चन्द्र वर्मा,
पता—गाजीखेरा, खैरा बीरू, खैरा कुनकू,
बाराबंकी (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अक्षत गुप्ता (Akshat Gupta) पुत्र प्रमोद कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 8327 1227 3633 में उसका नाम (Achhat) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत गुप्ता (Akshat Gupta) पुत्र प्रमोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रमोद कुमार पुत्र रमेश चन्द्र,
पता—अहरा, डंडिया, मुस्तफाबाद,
हसनगंज, उन्नाव, (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवांशु शुक्ला पुत्र संदीप शुक्ला है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों व आधार कार्ड में अंकित है। मेरे एल०आई०सी० की पालिसी संख्या 310910909 में मेरा नाम जैनेंद्र कुमार शुक्ला अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवांशु शुक्ला पुत्र संदीप शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवांशु शुक्ला पुत्र संदीप शुक्ला,
निवासी — 315ए रानी मण्डी,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम चैतन्या पाण्डेय है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—6978 1013 8525 में उसका नाम आयुसी पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम चैतन्या पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अजय प्रकाश पाण्डेय,
ग्राम व पोस्ट मंडार, मेजा,
माण्डा, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नित्यम पाण्डेय पुत्र अजय प्रकाश पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०- 5072 4121 9173

में उसका नाम आयुष पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम नित्यम पाण्डेय पुत्र अजय प्रकाश पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अजय प्रकाश पाण्डेय
ग्राम व पोस्ट-मंडार, मेजा,
माण्डा, प्रयागराज।